

# न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 68/2024

दायर दिनांक 05.11.2024

## उनवान

1. हरिशंकर आयु 58 वर्ष पुत्र छगन लाल जाति कोली निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां ।
2. नवल किशोर आयु 41 वर्ष पुत्र छगन लाल जाति कोली निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां ।

## वादीगण

### बनाम

1. दीपक आयु 19 वर्ष पुत्र प्रेमचन्द जाति कोली निवासी कवाई ।
2. अन्तिमा आयु 17 वर्ष नाबालिग पुत्री प्रेमचन्द जाति कोली निवासी कवाई ।
3. मोहन आयु 50 वर्ष पुत्र गेन्दीया जाति कोली निवासी कवाई ।
4. नाथी आयु 60 वर्ष पुत्री गेन्दीया पत्नि बाबू लाल जाति कोली निवासी गायत्री नगर अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज.) ।
5. गणेशी आयु 50 वर्ष पुत्री गेन्दीया पत्नि बिरधीलाल जाति कोली निवासी गायत्री नगर अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज.) ।
6. भूली आयु 55 वर्ष पुत्री गेन्दीया पत्नी छीतर लाल जाति कोली निवासी लोटा भैरू मोहल्ला छबड़ा जिला बारां (राज.) ।
7. निर्मला आयु 49 वर्ष पुत्री गेन्दीया पत्नी मन्नालाल जाति कोली निवासी रंगपुर रोड़ सील वाले बाबा महावीर कोलोनी ठाकुर हार्ड वेयर के सामने कोटा जिला कोटा राज0 ।
8. उमा वरमेन्द्र आयु 45 वर्ष बेवा प्रद्युम्न सिंह जाति कोली निवासी कवाई ।
9. यशुघुम्न सिंह आयु 26 वर्ष पुत्र प्रद्युम्न सिंह जाति कोली निवासी कवाई ।
10. नेहा वरमेन्दु पुत्री प्रद्युम्न सिंह आयु 22 वर्ष जाति कोली निवासी कवाई ।
11. आदित्यनेन्द्र वरमेन्दु पुत्र कंवर लाल जाति कोली निवासी नयागांव रावतभाटा रोड़ कोटा जिला कोटा ।
12. कान्ति पुत्री कंवरलाल पत्नि शादीलाल जाति कोली निवासी ब्लड बैंक के पीछे बसंत बिहार कोटा ।
13. कृष्णा पुत्री कंवरलाल पत्नी लालचन्द जाति कोली निवासी रंगबाडी कोटा जिला कोटा ।
14. गायत्री पुत्री कंवर लाल पत्नी विजय कुमार जाति कोली निवासी रेलवे कोलोनी गंगापुर सिटी राज0 ।
15. उषा पुत्री कंवरलाल पत्नी लक्ष्मण जाति कोली निवासी कोली मोहल्ला चोथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर ।
16. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज.) ।

## प्रतिवादीगण

### दावा अन्तर्गत धारा 53, आर0टी0एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल

प्रतिवादीगण:-विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 19.06.2024 से प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रेषित किया गया कि प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति बंटवारा के अनुसार अपीलांटगण के हक हिस्से की आराजी ख0नं0 477 रकबा 0.76 है0 से रेस्पोंडेंट क्रम 1 व 2 का नाम डिलीट करते हुए प्रकरण में पुनः नये सिरे से प्राथमिक डिक्री मे हुए सहमति बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार ही फाईनल डिक्री जारी करे।

प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया तथा उभय पक्षकारान को सूचित किया गया तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू द्वारा पूर्व में जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.10.2015 का अवलोकन किया गया। प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.10.2015 के अनुसार विवादित आराजी ग्राम कवाई की खाता संख्या 337 की ख0नं0 710 रकबा 0.65 है, ख0नं0 711 रकबा 0.37 है0 कुल कित्ता 2 रकबा 1.02 है0 तथा ग्राम व माल कवाई की खाता संख्या 336 की ख0नं0 476 रकबा 0.80 है0 व ख0नं0 477 रकबा 0.76 है0 कुल कित्ता 2 रकबा 1.56 है0 भूमि का विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य खाते के अनुसार व कब्जे के अनुसार भूमि का विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू द्वारा पूर्व में निर्णय दिनांक 16.03.2016 से निम्नानुसार डिक्री पर्चा जारी किया गया था।

1. यशधुमन सिंह पुत्र नेहा वरमेन्द्र पुत्री उमा नामेन्दु बेवा प्रद्युम्न सिंह आदित्य सिंह पुत्र कान्ती, कृष्णा, गायत्री, उषा पुत्रियां माया देवी वेबा कंवर्या जाति कोली

ख0 नं0	रकबा	किस्म	लगान
711(पश्चिम)	0.14	चाही 2	4.48
711(पश्चिम)	0.20	माल 2	3.20
कित्ता 2	0.34		7.68

2. हरिशंकर, नवल किशोर पुत्र छगन लाल जाति कोली

ख0 नं0	रकबा	किस्म	लगान
711(पूर्व)	0.03	माल 2	0.48
710(पश्चिम)	0.31	चाही 2	9.92
कित्ता 2	0.34		10.40

3. दीपक पुत्र कमलेश, मिथलेश, अन्तिम, पुत्रियां प्रेम चन्द्र, मोहन लाल पुत्र नाथी गणेशी, भूली मुन्नी निर्मला पुत्रियां गेंदीलाल जाति कोली

ख0 नं0	रकबा	कित्ता	लगान
710(पूर्व)	0.12	चाही 2	3.84
710(पूर्व)	0.22	माल 2	3.52
योग कित्ता 2	0.34		7.36

4. दीपक पुत्र कमलेश, मिथलेश, अन्तिम, पुत्रियां प्रेम चन्द्र, मोहन लाल पुत्र नाथी गणेशी, भूली मुन्नी निर्मला पुत्रियां गेंदीलाल हिस्सा 1/2 हरिशंकर, नवलकिशोर वल्द छगन लाल हिस्सा 1/2 कोम कोली सा0 देह
- | ख0 नं0 | रकबा | किता  | लगान |
|--------|------|-------|------|
| 477    | 0.76 | माल 1 | 9.12 |
5. हरिशंकर, नवलकिशोर पुत्र छगनलाल जाति कोली सा0 देह
- | ग्राम | ख0 नं0 | रकबा | किता  | लगान |
|-------|--------|------|-------|------|
| कवाई  | 476    | 0.80 | माल 1 | 9.60 |

माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 19.06.2024 के अनुसार प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति बंटवारा के अनुसार अपीलांटगण के हक हिस्से की आराजी ख0नं0 477 रकबा 0.76 है0 से रेस्पोंडेंट क्रम 1 व 2 (मूल वाद में वादी क्रम 1 व 2) का नाम डिलीट करते हुए प्रकरण में पुनः नये सिरे से प्राथमिक डिक्री मे हुए सहमति बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार ही फाईनल डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये गए हैं।

अभिभाषकगण द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2024 के निर्णयानुसार डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया। अभिभाषक उभय पक्षकारान ने सहमति हस्ताक्षर किए।

अतः माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 19.06.2024 की पालना में निम्नानुसार संशोधित डिक्री जारी की जाती है। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी ग्राम कवाई की खाता संख्या 337 की ख0नं0 710 रकबा 0.65 है, ख0नं0 711 रकबा 0.37 है0 कुल किता 2 रकबा 1.02 है0 तथा ग्राम माल कवाई की खाता संख्या 336 ख0नं0 476 रकबा 0.80 है0 ख0नं0 477 रकबा 0.76 है0 कुल किता 2 रकबा 1.56 है0 सम्पूर्ण आराजी रकबा 2.58 है0 का खाता विभाजन अपीलान्ट व रेस्पोंडेंट के मध्य निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है।

1. यशधुमन सिंह पुत्र नेहा वरमेन्द्र पुत्री उमा नामेन्दु बेवा प्रद्युम्न सिंह आदित्य सिंह पुत्र कान्ती, कृष्णा, गायत्री, उषा पुत्रियां माया देवी बेवा कंवर्या जाति कोली

ख0 नं0	रकबा	किस्म	लगान
711(पश्चिम)	0.14	चाही 2	4.48
711(पश्चिम)	0.20	माल 2	3.20
किता 2	0.34		7.68

2. हरिशंकर, नवल किशोर पुत्र छगन लाल जाति कोली

ख0 नं0	रकबा	किस्म	लगान
711(पूर्व)	0.03	माल 2	0.48
710(पश्चिम)	0.31	चाही 2	9.92
किता 2	0.34		10.40

3. दीपक पुत्र कमलेश, मिथलेश, अन्तिमा, पुत्रियां प्रेम चन्द्र, मोहन लाल पुत्र नाथी गणेशी, भूली मुन्नी निर्मला पुत्रियां गेंदीलाल जाति कोली

ख0 नं0	रकबा	किता	लगान
710(पूर्व)	0.12	चाही 2	3.84
710(पूर्व)	0.22	माल 2	3.52
योग किता 2	0.34		7.36

4. दीपक पुत्र कमलेश, मिथलेश, अन्तिमा, पुत्रियां प्रेम चन्द्र, मोहन लाल पुत्र नाथी गणेशी, भूली मुन्नी निर्मला पुत्रियां गेंदीलाल हिस्सा सम्पूर्ण कोम कोली सा0 देह

ख0 नं0	रकबा	किता	लगान
477	0.76	माल 1	9.12

5. हरिशंकर, नवलकिशोर पुत्र छगनलाल जाति कोली सा0 देह

ग्राम	ख0 नं0	रकबा	किता	लगान
कवाई	476	0.80	माल 1	9.60

उक्तानुसार पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन कर पृथक से लगान कायमी के आदेश किये जाते हैं। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो

निणर्य आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां

**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत – उप उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (आर0 ए0 एस0) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

प्रकरण सं0 68/2024

दायर दिनांक 05.11.2024

**उनवान**

1. हरिशंकर आयु 58 वर्ष पुत्र छगन लाल जाति कोली निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां।
2. नवल किशोर आयु 41 वर्ष पुत्र छगन लाल जाति कोली निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां।

**वादीगण**

**बनाम**

1. दीपक आयु 19 वर्ष पुत्र प्रेमचन्द जाति कोली निवासी कवाई।
2. अन्तिमा आयु 17 वर्ष नाबालिग पुत्री प्रेमचन्द जाति कोली निवासी कवाई।
3. मोहन आयु 50 वर्ष पुत्र गेन्दीया जाति कोली निवासी कवाई।
4. नाथी आयु 60 वर्ष पुत्री गेन्दीया पत्नि बाबू लाल जाति कोली निवासी गायत्री नगर अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज.)।
5. गणेशी आयु 50 वर्ष पुत्री गेन्दीया पत्नि बिरधीलाल जाति कोली निवासी गायत्री नगर अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज.)।
6. भूली आयु 55 वर्ष पुत्री गेन्दीया पत्नी छीतर लाल जाति कोली निवासी लोटा भैरू मोहल्ला छबड़ा जिला बारां (राज.)।
7. निर्मला आयु 49 वर्ष पुत्री गेन्दीया पत्नी मन्नालाल जाति कोली निवासी रंगपुर रोड़ सील वाले बाबा महावीर कोलोनी ठाकुर हार्ड वेयर के सामने कोटा जिला कोटा राज0।
8. उमा वरमेन्द्र आयु 45 वर्ष बेवा प्रद्युम्न सिंह जाति कोली निवासी कवाई।
9. यशुधुम्न सिंह आयु 26 वर्ष पुत्र प्रद्युम्न सिंह जाति कोली निवासी कवाई।
10. नेहा वरमेन्दु पुत्री प्रद्युम्न सिंह आयु 22 वर्ष जाति कोली निवासी कवाई।
11. आदित्यनेन्द्र वरमेन्दु पुत्र कंवर लाल जाति कोली निवासी नयागांव रावतभाटा रोड़ कोटा जिला कोटा।
12. कान्ति पुत्री कंवरलाल पत्नि शादीलाल जाति कोली निवासी ब्लड बैंक के पीछे बसंत बिहार कोटा।
13. कृष्णा पुत्री कंवरलाल पत्नी लालचन्द जाति कोली निवासी रंगबाडी कोटा जिला कोटा।
14. गायत्री पुत्री कंवर लाल पत्नी विजय कुमार जाति कोली निवासी रेलवे कोलोनी गंगापुर सिटी राज0।
15. उषा पुत्री कंवरलाल पत्नी लक्ष्मण जाति कोली निवासी कोली मोहल्ला चोथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
16. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज.)।

**प्रतिवादीगण**

**दावा अन्तर्गत धारा 53, आर0टी0एक्ट**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....बहाजिर

**बहाजिर :-**

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल

प्रतिवादीगण:-विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

मिनजानित मुदई रुबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है विवादित आराजी ग्राम कवाई की खाता संख्या 337 की ख0नं0 710 रकबा 0.65 है, ख0नं0 711 रकबा 0.37 है0 कुल किता 2 रकबा 1.02 है0 तथा ग्राम माल कवाई की खाता संख्या 336 ख0नं0 476 रकबा 0.80 है0 ख0नं0 477 रकबा 0.76 है0 कुल किता 2 रकबा 1.56 है0 सम्पूर्ण आराजी रकबा 2.58 है0 का खाता विभाजन वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है।

1. यशधुमन सिंह पुत्र नेहा वरमेन्द्र पुत्री उमा नामेन्दु बेवा प्रद्युम्न सिंह आदित्य सिंह पुत्र कान्ती, कृष्णा, गायत्री, उषा पुत्रियां माया देवी बेवा कंवर्या जाति कोली

ख0 नं0	रकबा	किस्म	लगान
711(पश्चिम)	0.14	चाही 2	4.48
711(पश्चिम)	0.20	माल 2	3.20
किता 2	0.34		7.68

2. हरिशंकर, नवल किशोर पुत्र छगन लाल जाति कोली

ख0 नं0	रकबा	किस्म	लगान
711(पूर्व)	0.03	माल 2	0.48
710(पश्चिम)	0.31	चाही 2	9.92
किता 2	0.34		10.40

3. दीपक पुत्र कमलेश, मिथलेश, अन्तिम, पुत्रियां प्रेम चन्द्र, मोहन लाल पुत्र नाथी गणेशी, भूली मुन्नी निर्मला पुत्रियां गेंदीलाल जाति कोली

ख0 नं0	रकबा	किता	लगान
710(पूर्व)	0.12	चाही 2	3.84
710(पूर्व)	0.22	माल 2	3.52
योग किता 2	0.34		7.36

4. दीपक पुत्र कमलेश, मिथलेश, अन्तिम, पुत्रियां प्रेम चन्द्र, मोहन लाल पुत्र नाथी गणेशी, भूली मुन्नी निर्मला पुत्रियां गेंदीलाल हिस्सा सम्पूर्ण कोम कोली सा0 देह

ख0 नं0	रकबा	किता	लगान
477	0.76	माल 1	9.12

5. हरिशंकर, नवलकिशोर पुत्र छगनलाल जाति कोली सा0 देह

ग्राम	ख0 नं0	रकबा	किता	लगान
कवाई	476	0.80	माल 1	9.60

उक्तानुसार पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन कर पृथक से लगान कायमी के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार अमलदरामद करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....  
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।  
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज 20.08.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)